न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—316/2022/223 आर.टी.एक्ट (2022/316)

1. श्री हबीब पुत्र स्व0 श्री भंवर
2. श्री कूका उर्फ सलीम पुत्र स्व0 श्री भंवर
   दोनों जाति चीता, निवासीगण ग्राम चौरसियावास तहसील व जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, अजमेर।
2. नगर सुधार न्यास(अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर) जरिए सचिव
3. श्रीमती सुवा पत्नी स्व0 श्री घीसा
4. श्रीमती पताशी पत्नी स्व0 श्री बिरदा
5. श्री मौला पुत्र स्व0 श्री बिरदा
6. श्री सेठू पुत्र स्व0 श्री बिरदा
7. श्री जावेद खान पुत्र स्व0 श्री शौकत
8. श्री साद मोहम्मद पुत्र स्व0 श्री शौकत
9. श्रीमती सहीदा पुत्री स्व0 श्री शौकत
   समस्त जाति चीता, निवासीगण सेरेमनी पब्लिक स्कूल के पास, माकडवाली रोड अजमेर।
10. पंचायत समिति श्रीनगर जरिए प्रधान, जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.07.2017 राजस्व वाद संख्या 64/2003.

उपस्थितः—

1. श्री एन0एस0राजावत अभिभाषक अपीलांट
2. श्री उमेश कुमार अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2
3. श्री चरणसिंह अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 7 से 9
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 1
5. रेस्पोडेंट संख्या 3 से 6, 10 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—09.02.2026

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 64/2003 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.07.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 92 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कार्यवाही करते हुए दिनांक 27.07.2017 को साक्ष्य वादी बंद करते हुए साक्ष्य वादी के अभाव में अपीलांट/वादीगण का वाद पत्र निरस्त किए जाने के आदेश पारित किए गए। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या

64/2003 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.07.2017 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 3 से 6, 10 अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पिता श्री भंवर का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात उनकी देखभाल व परवरिश सबसे बडे भाई श्री शौकत द्वारा ही की गई तथा श्री शौकत द्वारा ही उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया जाता रहा, जिनका स्वर्गवास दिनांक 25.02.2017 को हो जाने के कारण उनके द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं हुआ, इस कारण निर्धारित समयावधि में साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना सम्भव नहीं हुआ। प्रार्थीगण के बडे भाई एवं परिवार के मुखिया श्री शौकत का स्वर्गवास दिनांक 25.02.2017 को हो जाने के पश्चात प्रार्थीगण के समक्ष जीविकोपार्जन की समस्या उत्पन्न हो जाने के कारण प्रार्थीगण रोजगारवश व आजीविका हेतु अहमदाबाद चले गये, तथा निरन्तर अपने रोजगार में व्यस्त रहे। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं किया गया। मार्च, 2020 में कोरोना महामारी के कारण रोजगार बन्द हो जाने से प्रार्थीगण पुनः अपने निवास स्थान ग्राम चौरसियावास आ गये, तथा कोरोनाकाल समाप्त हो जाने के पश्चात छोटी–मोटी मजदूरी कर अपना जीवनयापन कर रहे है, जिस दौरान प्रार्थीगण को उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के एकपक्षीय एवं गैरकानूनी आदेश दिनांक 27.07.2017 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 01.10.2022 को हुई, जब प्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि के सम्बन्ध में अपने अधिवक्ता के कार्यालय में उपस्थित होकर प्रकरण के बारें में जानकारी चाही गई, जिस पर दिनांक 04.10.2022 को प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 06.10.2022 को प्रमाणित प्रति प्राप्त किये जाने के पश्चात अविलम्ब फीस एवं खर्चे की व्यवस्था करते हुए यह अपील जानकारी की तिथि दिनांक 01.10.2022 से समयावधि में प्रस्तुत की जा रही है। प्रार्थीगण ग्रामीण परिवेश के अशिक्षित व्यक्ति है, जिनको विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों की जानकारी नहीं है, साथ ही प्रार्थीगण के अपील में वर्णित अचल सम्पत्ति में हक–अधिकार व आधिपत्य निहित करते है, ऐसी स्थिति में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक होने से अपील प्रस्तुत किये जाने में हुई देरी का उचित, पर्याप्त एवं सद्भाविक कारण होने से देरी को क्षमा किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित फरमाये जाने हेतु यह प्रार्थना–पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। मूल अपील में वर्णित विधिक आधारों, दस्तावेजी साक्ष्य एवं न्यायिक दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन, कानून, न्याय व समानता प्रार्थी के पक्ष में विद्यमान होकर प्रकरण गुणावगुण पर सुदृढ़ होने तथा अचल सम्पत्ति में हक–अधिकार व आधिपत्य निहित होने से देरी को क्षमा किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने अभिभाषक उभयपक्षों द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

आर0आर0टी0 2002(1)– CONDONATION OF DELAY– WHILE CONSIDERING THE QUESTION OF DELAY, COURT HAS TO FIRST CONSIDER THE MERITS CASE- IF CASE IS GOOD ON MERITS, DELAY OUGHT TO HAVE BEEN CONDONED.

चूंकि अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में कहे गए कथन सत्य प्रतीत होते है। चूंकि परिसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि वे पक्षकारों के अधिकारो को नष्ट नहीं करे। चूंकि प्रथम अपील पक्षकार का वैधानिक व बहुमूल्य अधिकार है उसे विलंब के कारण समाप्त नहीं किया जा सकता जबकि अपीलांट का दुराश्य नहीं है। केवल तकनीकी आधारों पर व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता तथा नियमानुसार उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुणावगुण पर ही किया जाना विधिसम्मत है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक होने से एवं न्यायहित में अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि विधिक प्रावधानों एवं प्रतिपादित न्यायिक दृष्टान्तों तथा आदेश 18 सीपीसी में उल्लेखित प्रावधानों के तहत वादी द्वारा अपनी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने में असफल रहने के आधार पर किसी भी वाद–पत्र को निरस्त किये जाने के कोई प्रावधान विद्यमान नहीं करते है, अपितु वादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में वादी की साक्ष्य बन्द की जाकर वाद–पत्र को प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत किया जाना आवश्यक है, परन्तु उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा विधिक प्रावधानों एवं प्रतिपादित न्यायिक दृष्टान्तों के विपरीत अपीलान्ट/वादीगण द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के आधार पर निर्णय व डिकी दिनांक 27.07.2017 द्वारा वाद–पत्र को निरस्त किये जाने में विधिक त्रुटि किये जाने से निर्णय व डिकी दिनांक 27.07.2017 निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट/वादीगण के प्रकरण में वर्णित अचल सम्पत्ति में विधिक हक–अधिकार व आधिपत्य निहित करते है, ऐसी स्थिति में विधिक प्रावधानों एवं प्रतिपादित न्यायिक दृष्टान्तों के परिप्रेक्ष्य में तकनीकी आधार पर वादीगण/अपीलान्ट को अचल सम्पत्ति में निहित हक–अधिकार व आधिपत्य से वंचित नहीं किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में वादीगण/अपीलान्ट के अचल सम्पत्ति में निहित हक अधिकार व आधिपत्य का गुणावगुण पर निर्धारण किया जाना आवश्यक है। इस कारण भी उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 27.07.2017 निरस्त फरमाये जाने योग्य है। दिनांक 05.07.2011 से दिनांक 18.05.2017 तक हडताल व अन्य कारणों से न्यायिक कार्य स्थगित रहने एवं पीठासीन अधिकारी के राजकार्य में व्यस्त रहने से पेशीयां परिवर्तित होती रही है, ऐसी स्थिति में दिनांक 27.07.2017 को न्याय हित एवं अचल सम्पत्ति में निहित हक अधिकारों के संरक्षण हेतु वादीगण/अपीलान्ट को साक्ष्य वादी हेतु एक अवसर प्रदान किया जाना उचित एवं न्यायसंगत था, परन्तु उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 27.07.2017 के तहत तकनीकी आधार पर वाद–पत्र को निरस्त किये जाने में विधिक त्रुटि कारित किये जाने से निरस्त किये जाने योग्य है। यहां यह भी निवेदन किया जाना उचित व पर्याप्त होगा कि उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 64/2003 में पारित निर्णय व डिकी दिनांक 27.07.2017 को निरस्त कर अपीलान्ट/वादीगण को साक्ष्य का एक अवसर प्रदान नही किया जाता है, तो वादीगण/अपीलान्ट अचल सम्पत्ति में निहित विधिक हक अधिकार व आधिपत्य से वंचित हो जावेंगे, जो न्याय की कतई मंशा नहीं है। अपील की सुनवाई व निर्णय का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय में निहित

होकर अपील निर्धारित न्यायशुल्क पर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम, 1963 में उल्लेखित आधारों के परिप्रेक्ष्य में समयावधि में प्रस्तुत की जा रही है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 64/2003 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.07.2017 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलांट को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अनेक अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत भी वादी/अपीलांट द्वारा जब प्रकरण में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए वादी का वाद निरस्त किए जाने के आदेश पारित किए गए। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

9. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि वादी/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 188 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। वादी/अपीलांट द्वारा प्रकरण में साक्ष्य वादी प्रस्तुत नहीं किए जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कार्यवाही करते हुए वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज किए जाने के आदेश दिनांक 27.07.2017 को पारित किए गए। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण/अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1745 व 1746 का रेकार्ड दुरूस्त कर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 3 से 6 के नाम पुनः खातेदारी दर्ज किए जाने व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने बाबत अनुतोष चाहा गया।

अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका का अवलोकन किया गया। वादी/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र दिनांक 14.08.2003 को प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात पत्रावली आगामी पेशियों में नियत रही। दिनांक 21.08.2004 को वादी/अपीलांट व उनके अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया। दिनांक 06.07.2005 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाजदायरी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिए जाने के आदेश पारित किए गए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 29.03.2010 को तनकीयात कायम की गई।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम की दिनांक से वादी/अपीलांट को वादी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के अनेक अवसर दिए जाने के उपरांत भी जब उनके द्वारा वादी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हें न्यायहित में दिनांक 26.05.2011 को अंतिम अवसर दिया गया व आदेश दिए कि आईन्दा तारीख को वादी साक्ष्य आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे अन्यथा वादी साक्ष्य स्वतः बंद समझी जावेगी।

वादी/अपीलांट द्वारा अनेक अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात भी जब उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में सख्त कार्यवाही करते हुए वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद को दिनांक 27.07.2017 को खारिज किए जाने के आदेश पारित किए गए।

प्रकरण में हुई समस्त कार्यवाही वादी/अपीलांट के प्रकरण के प्रति उदासीनता व लापरवाही को दर्शाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जब प्रकरण में दिनांक 29.03.2010 को तनकीयात कायम की गई थी व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी साक्ष्य के

अभाव में वाद पत्र को दिनांक 27.07.2017 को खारिज किया गया। इस अवधि के दौरान अपीलांट/वादी द्वारा प्रकरण में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। इसके उपरांत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कार्यवाही करते हुए वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज किए जाने के आदेश पारित किए गए। वादी द्वारा प्रकरण में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में वादी की साक्ष्य बंद की जाकर वाद–पत्र को प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत किया जाना आवश्यक था, परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलांट द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाने से वाद पत्र को निरस्त किया गया जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है।

न्यायालय के समक्ष केवल वादपत्र प्रस्तुत किया जाना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु अपने हक अधिकारों की चाराजोही करने के लिए न्यायालय के समक्ष राजस्व दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत करना भी उतना ही आवश्यक है। जिससे न्यायालय प्रकरण में गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित कर सके व वादी को अपना उपचार शीघ्र प्राप्त हो सके।

न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण की समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखकर वर्तमान प्रकरण में नरम रूख अपनाते हुए वादी/अपीलांट को न्यायहित में एक समुचित अवसर प्रदान किया जाना उचित समझते है व अपीलांट/वादी को यह निर्देश दिए जाते हैं कि वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण में साक्ष्य प्रस्तुत करे।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय निरस्त किया जाकर वादी/अपीलांट को न्यायहित में एक अवसर प्रदान कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्णित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

10. अतः अपील अपीलांट्स **2000/– रूपए** की कोस्ट पर आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 64/2003 में पारित निर्णय दिनांक 27.07.2017 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वादी/अपीलांट द्वारा **2000/– रूपए** कि राशि राजस्थान रेवेन्यू बार एसोसिएशन के खाते में जमा करवाए व उक्त रसीद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के उपरांत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद को पुनः दर्ज कर वादी/अपीलांट को साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने का न्यायहित में एक अवसर प्रदान करे। वादी/अपीलांट को यह आदेश दिए जाते हैं कि वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.03.2026 को साक्ष्य प्रस्तुत करे। यदि वादी/अपीलांट द्वारा प्रकरण में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जाती है तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी साक्ष्य बंद कर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही कर गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 09.03.2026 को उपस्थित रहने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 09.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर